न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/45)

प्रकरण संख्याः–12[illegible]/2025
तारीख दायरः– 19/02/2025
निर्णय दिनांकः–30/10/2025

उनवान

1. वीरभद्र पिता नाहरसिंह जाति चुण्डावत निवासी गोकुल विलास देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. सहायक वन निरीक्षक राजसमन्द जिला राजसमन्द
3. शन्त्रुजंयसिंह पिता नाहरसिंह जाति चुण्डावत निवासी राजमहल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम मदारिया पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 299 आराजी संख्या 142 रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02, 03 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 02, 03 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई । अप्रार्थी संख्या 01 भूमिधारी पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम मदारिया पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 299 आराजी संख्या 142 रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण / पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी / सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)